राजस्व लोक अदालत [illegible] 2018

तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

(कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत बाकरा)

मुकदमा न. 33/2017

उनवान

भोपाल सिंह बनाम तहसीलदार झुंझुनू

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पत्थर गढी कृषि भूमि

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" अभियान–2018

18.05.2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम ग्राम पंचायत बाकरा में पेश हुई। प्रार्थी आवेदक उपस्थित आवेदक के निवेदन पर पत्रावली लोक अदालत की भावना को दृष्टिगत रखते हुए आदेश मे ली गई। प्रार्थी के कथनों के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी काश्त की भूमि हाल खसरा न. 163, 165, 166 कुल किता 3 कुल रकबा 1.05 हैक्टर वाके ग्राम देवीपुरा तहत तहसील झुंझुनू में अवस्थित की पत्थर गढी मय विडियोग्राफर प्रार्थी के खर्चे पर करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व सीमाज्ञान फर्द मौका दिनांक 07.11.2016 एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते हुए प्रार्थी को मौखिक तौर पर सुना भी गया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। क्योकि प्रार्थी ने पड़ौसी हितबन्द खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है व पूर्व मे फर्द नपती रिपोर्ट दिनांक 07.11.2016 पर प्रार्थी के भाई सतपाल सिंह की सहमति के हस्ताक्षर नही है। जिससे जाहिर होता है कि दोनो पक्षकारो में सहमति नही है। प्रार्थी प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार झुंझुनू को इस निर्देश के साथ भिजवाया जाता है कि व विवादित भूमि से संबंधित खातेदारों को अपने स्तर पर सुनवाई कर विधिवत विवादित जमीन का सीमाज्ञान प्रार्थी स्वयं के खर्चे पर अपनी निगरानी मे पुनः करवाया जावें। फर्द अहकाम दस्ती पालनार्थ तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश कैम्प मुकाम ग्राम पंचायत बाकरा में सुनाया गया।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner